

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक. 314 दिनांक 30.09.2014  
गत सभा दिनांक ..... के कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर / पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-कौंसिल  
नगर पालिक निगम, इंदौर  
दिनांक

क्रमांक  
प्रतिलिपी:-

- 1- आयुक्त
- 2- रेसीडेन्ट आडिट
- 3- सूचना एवं प्रोद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इंदौर
- 4- लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इंदौर  
की जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इंदौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 315 दिनांक 30.09.2014

स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत सौलिड वेस्ट मेनेजमेंट के लिये काम्पेक्टर वाहन हेतु 1.1 क्यु.मी. केपेसिटी के 300 नग एम.एम कन्टेनर क्रय करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 12 दिनांक 30.9.2014 पर विचार किया गया। मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 57 दिनांक 27.4.2013 एवं क्रमांक 94 दिनांक 13.08.2014 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरांत आयुक्त के पत्र के अनुलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति

त व गठित निगोसिएशन समिति की अनुशंसा के प्रकाश में सदर प्रकरण में तृतीय निविदा में न्यूनतम निविदा दरदाता मेसर्स ब्लेकबेरी ओव्हरसीज प्रा.लि. नई दिल्ली की निगोसिएटेड दर राशि रूपये 29,400/- प्रति कन्टेनर की दर पर 300 नग 1.1 घन मीटर क्षमता के एमएस कन्टेनर राशि रूपये 88,20,000/- में क्रय करने की स्वीकृति दी जाती है।

3. क्रय की जाने वाली सामग्री निर्धारित मानकस्तर एवं गुणवत्तापूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।  
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-कौंसिल  
नगर पालिक निगम, इंदौर  
दिनांक 1.09.2014

क्रमांक 610-11

प्रतिलिपी:-

- 1- आयुक्त
- 2- रेसीडेन्ट आडिट
- 3- सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इंदौर
- 4- लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इंदौर  
की जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इंदौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 316 दिनांक 13.8.2014

शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता/अनुदान देने के संबंध में आवेदक श्रीमती ममता सोलंकी पता 126 स्कीम नं.51 इन्दौर के आवेदन पत्र पर विचार किया गया।

2. विचारोपरांत आवेदक को रूपये 2,000/- (अक्षरी रू. दो हजार रूपये मात्र)की आर्थिक सहायता/अनुदान बजट मद क्रमांक. 2208010 " आर्थिक सहायता/अनुदान पर व्यय" में से देने की स्वीकृति म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत बने म.प्र. नगर पालिक निगम (मेयर-इन कौंसिल/प्रेसिडेंट इन कौंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य) नियम 1998 के नियम 5(चार) अनुसार निगम परिषद प्रस्ताव क्र.79 दिनांक 21.08.2001 के अन्तर्गत दी जाती है। सहायता राशि का चेक " **हॉलमार्क हा.से.स्कूल** " के नाम से जारी किया जावे।

आयुक्त/सचिव नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह.)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
नगर पालिक निगम,इंदौर

क्रमांक 612-13

दिनांक 1.10.2014

प्रतिलिपी:

1. आयुक्त नगर पालिक निगम,इंदौर
2. रेसीडेन्ट ऑडिट  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इंदौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 317 दिनांक 13.8.2014

शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता/अनुदान देने के संबंध में आवेदक श्रीमती ललिता पंवार पता 126 बी. स्कीम नं.51 इन्दौर के आवेदन पत्र पर विचार किया गया।

2. विचारोपरांत आवेदक को रूपये 2,500/- (अक्षरी रू. दो हजार पांच सौ रूपए मात्र)की आर्थिक सहायता/अनुदान बजट मद क्रमांक. 2208010 " आर्थिक सहायता/अनुदान पर व्यय" में से देने की स्वीकृति म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत बने म.प्र. नगर पालिक निगम (मेयर-इन कौंसिल/प्रेसिडेंट इन कौंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य) नियम 1998 के नियम 5(चार) अनुसार निगम परिषद प्रस्ताव क्र.79 दिनांक 21.08.2001 के अन्तर्गत दी जाती है। सहायता राशि का चेक " ए.ए.पी.एस.स्कुल " के नाम से जारी किया जावें।

आयुक्त/सचिव नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह.)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
नगर पालिक निगम,इंदौर

क्रमांक 614-15

दिनांक 1.10.2014

प्रतिलिपी:

1. आयुक्त नगर पालिक निगम,इंदौर
2. रेसीडेन्ट ऑडिट  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इंदौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 318 दिनांक 13.8.2014

शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता/अनुदान देने के संबंध में आवेदक श्रीमती ललिता पंवार 1126 बीस्कीम नं.51 इन्दौर के आवेदन पत्र पर विचार किया गया।

2. विचारोपरांत आवेदक को रूपये 3,000/- (अक्षरी रू. तीन हजार रूपये मात्र)की आर्थिक सहायता/अनुदान बजट मद क्रमांक. 2208010 " आर्थिक सहायता/अनुदान पर व्यय" में से देने की स्वीकृति म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत बने म.प्र. नगर पालिक निगम (मेयर-इन कौंसिल/प्रेसिडेंट इन कौंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य) नियम 1998 के नियम 5(चार) अनुसार निगम परिषद प्रस्ताव क्र.79 दिनांक 21.08.2001 के अन्तर्गत दी जाती है। सहायता राशि का चेक " श्री क्लायथ मार्केट इंस्टिट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज " के नाम से जारी किया जावे।

आयुक्त/सचिव नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह.)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
नगर पालिक निगम,इंदौर

क्रमांक 618-19

दिनांक 1.10.2014

प्रतिलिपी:

1. आयुक्त नगर पालिक निगम,इंदौर
2. रेसीडेन्ट ऑडिट  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इंदौर



मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक. 320 दिनांक 30.09.2014

उद्यान विभाग के अन्तर्गत सिटी फॉरेस्ट में वाटर बॉडी विकसीत करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक एस.ई./उद्यान 526 दिनांक 30.09.2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरांत आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 9,81,000/- की दिनांक 14.7.2014 को प्राप्त 02 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्युनतम निविदादरदाता मेसर्स दीपशिखा कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रस्तुत न्युनतम 9.00 प्रतिशत अधिक की राशि रूपये 88,290/- सहित कुल आकार राशि रूपये 10,69,290/- के कार्य की प्रस्ताव अनुसार वित्तीय, तथा निविदा दर की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे। आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-कौंसिल  
नगर पालिक निगम, इंदौर  
दिनांक 1.10.2014

क्रमांक 620-21

प्रतिलिपी:-

- 1- आयुक्त
- 2- रेसीडेन्ट आडिट
- 3- सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इंदौर
- 4- लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इंदौर  
की जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इंदौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 321 दिनांक 30-09-2014

झोन क्रमांक 1 वार्ड क्रमांक 3 अंतर्गत ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2014 के दृष्टिगत एयरपोर्ट एक्जिट गेट से सुपर कॉरिडोर तिराहे तक आर्म पोल व फिटिंग लगाकर प्रकाश व्यवस्था करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 2284 दिनांक 30-09-2014 पर विचार किया गया ।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 26,38,866/- की दिनांक 10-09-2014 को प्राप्त 04 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता मेसर्स एन. के. इले. द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर 11.70 प्रतिशत कम की राशि रूपये 23,30,119/-के कार्य की विभागीय प्रस्ताव अनुसार वित्तीय स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. किये जाने वाला कार्य मानक स्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे

महापौर/पदेन अध्यक्ष

मेयर-इन-काउंसिल

नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 622-23

प्रतिलिपि:-

दिनांक 1.10.2014

1. आयुक्त सं. 1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट।  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव

नगर पालिक निगम,इन्दौर



मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 322 दिनांक 30-09-2014

नगर के पूर्वी बायपास क्षेत्र के लिए चोरल नदी पर आधारित जलप्रदाय योजना सर्वेक्षण एवं डी.पी.आर. के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1718/पी.एम./पी.आय.यू./ दिनांक 29-09-2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में जलसंसाधन संभाग, इन्दौर एवं पी.आई.यू. इन्दौर के संयुक्त निरीक्षण पर जलसंसाधन संभाग, इन्दौर की रिपोर्ट के क्रम में इन्दौर शहर के पूर्वी क्षेत्र बायपास क्षेत्र के लिये चोरल नदी पर बांध बनाकर जलप्रदाय करने हेतु प्रारंभिक प्रस्ताव लागत राशि रूपये 211.00 करोड़ के लिए सर्वेक्षण कार्य में जलशोधन संयंत्र, बी.पी.टैंक हेतु सर्वेक्षण लेवलिंग, पंपिंग व ग्रेव्हिटीमेन का अलाईन्मेन्ट निश्चित करने हेतु सर्वेक्षण व डी.पी.आर. बनाने हेतु कुल राशि रूपये 45.43+27.93 लाख की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय निगम संबंधित मद से होगा तथा उक्त धनराशि जल संसाधन विभाग को उपलब्ध कराई जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे

महापौर/पदेन अध्यक्ष

मेयर-इन-काउंसिल

नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक 626-27

दिनांक 1.10.2014

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट।  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव

नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 323 दिनांक 30-09-2014

बड़ाबांगड़ा एवं नैनोद में जलप्रदाय अन्तर्गत एचडीपीई पाईप लाईन व्यवस्था हेतु प्राप्त न्यूनतम दर वित्तीय दर स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 583/जेएनएनयूआरएम/2014 दिनांक 27-09-2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश सदर कार्य हेतु दिनांक 13-08-2014 को प्राप्त 02 निविदाओं में तकनीकी विश्लेषण में योग्य न्यूनतम निविदा दरदाता मेसर्स एशियाटीक ट्रेडर्स, इन्दौर द्वारा प्रस्तुत बाजार दर पर कम की न्यूनतम दर राशि रूपये 46,00,000/- की विभाग प्रस्ताव अनुसार वित्तीय स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. किये जाने वाला कार्य मानक स्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक 624-25

दिनांक 1.10.2014

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट।  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 324 दिनांक 30-09-2014

शहर में विचरण करने वाले आवारा सुअरों को नियंत्रण करने हेतु निजि ऐजेन्सी को कार्य देने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 2237 दिनांक 08-01-2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में शहर में विचरण करने वाले आवारा सुअरों को नियंत्रण करने की दृष्टि से निजि ऐजेन्सी (ठेकेदार ) के निर्धारण हेतु निम्न शर्तों का समावेश कर नियमानुसार निविदा आमंत्रित करने की स्वीकृति दी जाती है।

- 1- शहर सीमा में जितने सुअरों को पकड़ा जाएगा वह ठेकेदार की सम्पत्ति हो जाएगी जिन्हें वह स्वयं के वाहन से शहर से बाहर भेजेगा।
- 2- 1, 4 की पुलिस फोर्स निगम/प्रशासन को उपलब्ध कराना होगी, जिसे प्रतिदिन टीम के साथ रह कर कार्य को अंजाम देना होगा।
- 3- इस हेतु ठेकेदार द्वारा निगम से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- 4- सुअर हटाओं अभियान पर स्वास्थ्य विभाग कन्ट्रोल रूम के माध्यम से सम्पूर्ण नियंत्रण किया जावेगा।
- 5- निगम हित में अन्य शर्तों के समावेश करने हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर इन कौंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 628-29

दिनांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिटरकी और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

झोन क्रमांक 09 पर कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटर की माह फरवरी 2014 से वेतन भुगतान की स्वीकृति की एवं अवधि वृद्धि के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 581 दिनांक 13-08-2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं चर्चा के प्रकाश में आयुक्त की टीप नोटशीट पृष्ठांकन क्रमांक 18 की स्वीकृति के तारतम्य झोन क्रमांक 09 पर दिनांक 14 फरवरी 2014 से कार्यरत एक कम्प्यूटर आपरेटरको भुगतान करने स्वीकृति तथा कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस के लिए जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01 अक्टूबर 2014 से दिनांक 28 फरवरी-2015तक अवधि वृद्धि करने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय संबंधि बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावें। आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर  
दिनांक 1.10.2014

क्रमांक 654-55

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट।  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 324

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 326 दिनांक 30-09-2014

बिलावली तालाब पर वृक्षारोपण सुरक्षा एवं अन्य कार्य की देखरेख हेतु 15 मस्टर श्रमिकों की स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1045 दिनांक 03/09/2014 पर प्रभारी जलकार्य समिति की राय क्रमांक 73 दिनांक 12/09/2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1066 दिनांक 26/02/2014 के तारतम्य में बिलावली तालाब पर वृक्षारोपण सुरक्षा एवं अन्य कार्य की देखरेख हेतु 15 मस्टर श्रमिकों की समयावधि दिनांक 31 जुलाई 2014 को समाप्त होने से कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस के लिए जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01 अगस्त 2014 से दिनांक 28 फरवरी 2015 तक अवधि वृद्धि करने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय संबंधि बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।  
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

1/4g1/2कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-कौंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक 1.10.2014

क्रमांक

प्रतिलिपि 652:-53

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्सी ऑडिट  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 327 दिनांक 30-09-2014

मस्टर श्रमिको की अवधि वृद्धि के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 243 दिनांक 06/09/2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 829 दिनांक 06/02/2014 के तारतम्य में 06 अस्थाई दैनिक वेतन भोगी मस्टर श्रमिको की समयावधि दिनांक 31 जुलाई 2014 को समाप्त होने से कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस के लिए जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01 अगस्त 2014 से दिनांक 28 फरवरी 2015 तक अवधि वृद्धि करने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय संबंधि बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।  
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

1/4g1/2कृष्णमुरारी मोघे

महापौर/पदेन अध्यक्ष

मेयर-इन-कौंसिल

नगर पालिक निगम, इन्दौर

दिनांक.10.10.14

क्रमांक 640-41

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।

2. रेसीडेन्सी ऑडिट

की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव

नगर पालिक निगम, इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 326

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 328 दिनांक 30-09-2014

वर्ष प्रतिप्रदा (गुडीपडवा) के अवसर पर कार्यक्रम आयोजन के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 471 दिनांक 12/08/2014 पर विचार किया गया। मेयर इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 244 दिनांक 7.06.14 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में प्रतिवर्षानुसार दिनांक 31.03.2014 को वर्ष प्रतिप्रदा के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की व्यवस्थाओं पर व्यय देयक राशि रूपये 1,83,744/- की कार्योत्तर स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय बजट मद नव वर्ष उत्सव गुडी पडवा पर व्यय में से होगा। आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

1/4g<sup>1</sup>/<sub>2</sub>कृष्णमुरारी मोघे

महापौर/पदेन अध्यक्ष

मेयर-इन-कौंसिल

नगर पालिक निगम, इन्दौर

दिनांक.10.10.14

क्रमांक 660-61

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्सी ऑडिट  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव

नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 329 दिनांक 30-09-2014

झोन क्रमांक 12 वार्ड क्र. 54 के अन्तर्गत अतिरिक्त ड्रेनेज कर्मचारियों की स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 984 दिनांक 27/08/2014 पर प्रभारी जलकार्य समिति की राय क्रमांक 61 दिनांक 28/08/2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1007 दिनांक 20/02/2014 के तारतम्य में झोन क्रमांक 12 वार्ड क्र. 54 के अन्तर्गत अतिरिक्त ड्रेनेज सफाई हेतु कार्यरत 02 मस्टर श्रमिकों की समयावधि दिनांक 31 जुलाई 2014 को समाप्त होने से कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस के लिए जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01 अगस्त 2014 से दिनांक 28 फरवरी 2015 तक अवधि वृद्धि करने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय संबंधि बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावें।  
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

1/4g 1/2 कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर / पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-कौंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक 10.10.14

क्रमांक 672-73

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्सी ऑडिट  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर



मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 330 दिनांक 30-09-2014

झोन क्रमांक 12 वार्ड क्र. 54 के अन्तर्गत अतिरिक्त ड्रेनेज कर्मचारियों की स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 984 दिनांक 27/08/2014 पर प्रभारी जलकार्य समिति की राय क्रमांक 61 दिनांक 28/08/2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1007 दिनांक 20/02/2014 के तारतम्य में झोन क्रमांक 12 वार्ड क्र. 54 के अन्तर्गत अतिरिक्त ड्रेनेज सफाई हेतु कार्यरत 02 मस्टर श्रमिकों की समयावधि दिनांक 31 जुलाई 2014 को समाप्त होने से कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस के लिए जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01 अगस्त 2014 से दिनांक 28 फरवरी 2015 तक अवधि वृद्धि करने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय संबंधि बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।  
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

1/4g1/2कृष्णमुरारी मोघे

महापौर/पदेन अध्यक्ष

मेयर-इन-कौंसिल

नगर पालिक निगम, इन्दौर

दिनांक 10.10.2014

क्रमांक 656-57

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।

2. रेसीडेन्सी ऑडिट

की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव

नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 331 दिनांक 30-09-2014

मस्टर श्रमिकों की कार्य वृद्धि के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 242 दिनांक 06/09/2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 981 दिनांक 20/02/2014 के तारतम्य में एक कुशल श्रमिक तथा एक अकुशल श्रमिक की कार्य अवधि दिनांक 31 जुलाई 2014 को समाप्त होने से कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस के लिए जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01 अगस्त 2014 से दिनांक 28 फरवरी 2015 तक अवधि वृद्धि करने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय संबंधि बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।  
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

1/4g1/2कृष्णमुरारी मोघे

महापौर/पदेन अध्यक्ष

मेयर-इन-कौंसिल

नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक 661-63

दिनांक..... 10.10.14

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।

2. रेसीडेन्सी ऑडिट

की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव

नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 332 दिनांक 30-09-2014

नगर सौंदर्यीकरण उद्यान में कार्यालयीन कार्य एवं सिरपुर, बिलावली, डिवाईडर तथा ग्रीन बेल्ट पौधारोपण क्षेत्र में कार्य करने हेतु रखे गये श्रमिकों की अवधि वृद्धि करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 134/न.सौ.उ./14-15 इन्दौर, दिनांक 18-07-2014 परप्रभारी उद्यान की राय पर विचार किया गया।

2. विचारोपान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु मेयर-इन-काउंसिल के संकल्प क्रमांक 1062 दिनांक 26/02/2014 के तारतम्य में समयावधि दिनांक 31-07-2014 को समाप्त होने से 117 मस्टर श्रमिकों की कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस के लिए जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01 अगस्त 2014 से दिनांक 28 फरवरी 2015तक कार्य लिये जाने की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।  
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

1/4g1/2कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर इन कौंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर  
दिनांक 9.10.14

क्रमांक 630-31

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित वाहनों पर कार्यरत मस्टर श्रमिकों (वाहन चालकों) की अवधि वृद्धि के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 523 दिनांक 30-09-2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में शहर की सतत साफ-सफाई व्यवस्था के क्रम में निगम में चलाए जाने वाले अतिरिक्त वाहनों तथा आवश्यकता अनुसार द्वितीय शिफ्ट के लिए लायसेंसधारी वाहन चालकों की मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 834 दिनांक 06-02-2014 के तारतम्य में कार्यरत 30 लायसेंसधारी दैनिक वेतन भोगी (कुशल मस्टर वाहन चालक) की अवधि समाप्त होने से कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नियमानुसार ब्रेक देकर जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर 29-29 दिवस की अवधि पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01-08-2014 से दिनांक 28 फरवरी 2015 तक अवधि वृद्धि करने की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे। आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे

महापौर/पदेन अध्यक्ष

मेयर-इन-काउंसिल

नगर पालिक निगम, इन्दौर

दिनांक 1.10.14

क्रमांक 658-59

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट।  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव

नगर पालिक निगम, इन्दौर

राजस्व विभाग में दैनिक वेतन पर मस्टर श्रमिकों की अवधि वृद्धि के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1624 दिनांक 31-07-2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 997 दिनांक 06.02.14 के द्वारा राजस्व विभाग के अन्तर्गत निगम मुख्यालय के विभिन्न विभागों तथा झोनल कार्यालय में कार्यरत कमप्युटर ऑपरेटर 19 कुशल एवं 01 अकुशल कुल 20 दैनिक वेतन भोगिक मस्टर कर्मचारियों की अवधि दिनांक 31.7.2014 को समाप्त होने से कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नितांत अस्थाई रूप से कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस के लिए जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर दिनांक 01.08.2014 से दिनांक 28 फरवरी 2015 तक कार्य लिये जाने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावें।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक 1.10.14

क्रमांक 646-47

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट।  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 335 दिनांक 30-09-2014

सरवटे एवं गंगवाल बस स्टेण्ड पर अस्थाई रखे 29 कर्मचारियों की सेवा अवधि वृद्धि के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 30 दिनांक 13/08/2014 पर पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 813 दिनांक 06/02/2014 के तारतम्य में सरवटे एवं गंगवाल बस स्टेण्ड पर अस्थाई रखे 29 कर्मचारियों की समयावधि दिनांक 31 जुलाई 2014 को समाप्त होने से कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस के लिए जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01 अगस्त 2014 से दिनांक 28 फरवरी 2015 तक अवधि वृद्धि करने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय संबंधि बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।  
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

1/4g1/2कृष्णमुरारी मोघे

महापौर/पदेन अध्यक्ष

मेयर-इन-कौंसिल

नगर पालिक निगम, इन्दौर

दिनांक 1.10.14

क्रमांक 638-39

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।

2. रेसीडेन्सी ऑडिट

की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव

नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 336 दिनांक 30-09-2014

झोन क्रमांक 04 महाराणा प्रताप झोन पर मस्टर श्रमिक (कम्प्यूटर ऑपरेटर) की अवधि वृद्धि के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 105 दिनांक 06/09/2014 पर आवास पर्यावरण एवं लोकनिर्माण समिति की राय क्रमांक 526 दिनांक 17/09/2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में नोटशीट पृष्ठ क्रमांक 11 पर आयुक्त की स्वीकृति के तारतम्य में झोन क्रमांक 04 महाराणा प्रताप पर कार्यरत एक कुशल श्रमिक (कम्प्यूटर ऑपरेटर) की कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस के लिए जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01 जनवरी 2014 से दिनांक 28 फरवरी 2015 तक अवधि वृद्धि करने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय संबंधि बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।  
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

1/4g<sup>1/2</sup>कृष्णमुरारी मोघे

महापौर/पदेन अध्यक्ष

मेयर-इन-कौंसिल

नगर पालिक निगम, इन्दौर

दिनांक 1.10.14

क्रमांक 644-45

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्सी ऑडिट  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव

नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 337 दिनांक 30-09-2014

प्राणी संग्रहालय में कार्यरत 01 दैनिक वेतन भोगी श्री दर्पण पिता शिवचरण राठौर की कार्य अवधि बढ़ाने की स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक [416/प्राणी](#) संग्रहालय, इन्दौर दिनांक 24-07-2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 819 दिनांक 06-02-2014 के तारतम्य में प्राणी संग्रहालय में कार्यरत एक दैनिक वेतन भोगी अस्थाई मस्टर श्रमिक की कार्य अवधि समाप्त होने से कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस के लिए जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01-08-2014 से दिनांक 28 फरवरी 2015 तक अवधि वृद्धि करने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय संबंधि बजट मद में से होगा।
3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे। आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक 1.10.14

क्रमांक 668-69

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट।  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर



मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 338 दिनांक 30-09-2014

मस्टर श्रमिक की कार्य अवधि वृद्धि के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 503 दिनांक 26/08/2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 989 दिनांक 20/02/2014 के तारतम्य में परिषद कार्यालय में कार्यरत एक कुशल श्रमिक की कार्य अवधि दिनांक 31 जुलाई 2014 को समाप्त होने से कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस के लिए जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01 अगस्त 2014 से दिनांक 28 फरवरी 2015 तक अवधि वृद्धि करने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय संबंधि बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।  
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

1/4g1/2कृष्णमुरारी मोघे

महापौर/पदेन अध्यक्ष

मेयर-इन-कौंसिल

नगर पालिक निगम, इन्दौर

दिनांक 1.10.2014

क्रमांक 642-43

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।

2. रेसीडेन्सी ऑडिट

की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव

नगर पालिक निगम, इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 337

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 339 दिनांक 30-09-2014

प्राणी संग्रहालय में 06 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को कार्य पर रखने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 745 दिनांक 23-09-2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में प्राणी संग्रहालय में हो रहे गार्डनों, मिनि जंगल का विकास व नियमित उसकी देखरेख व निगरानी हेतु प्राणी संग्रहालय में 06 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस के लिए जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 21 अक्टूबर 2014 से दिनांक 28 फरवरी 2015 तक कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।
3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे। आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक 1.10.14

क्रमांक 670-71

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट।  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 340 दिनांक 30-09-2014

कुशल/मस्टर श्रमिक की अवधि वृद्धि के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 937 दिनांक 12/09/2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 825 दिनांक 06/02/2014 के तारतम्य में मॉ हरसिद्धी झोनल कार्यालय पर कार्यरत एक कुशल श्रमिक (कम्प्यूटर ऑपरेटर) की कार्य अवधि दिनांक 31 जुलाई 2014 को समाप्त होने से कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस के लिए जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01 अगस्त 2014 से दिनांक 28 फरवरी 2015 तक अवधि वृद्धि करने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय संबंधि बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।  
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

1/4g1/2कृष्णमुरारी मोघे

महापौर/पदेन अध्यक्ष

मेयर-इन-कौंसिल

नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक 666-67

दिनांक 1.10.14

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।

2. रेसीडेन्सी ऑडिट

की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव

नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 341 दिनांक 30-09-2014

झोन क्रमांक 12 वार्ड क्र. 64 के अतिरिक्त ड्रेनेज कर्मचारियों की स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 983 दिनांक 27/08/2014 पर प्रभारी जलकार्य समिति की राय क्रमांक 60 दिनांक 28/08/2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 986 दिनांक 20/02/2014 के तारतम्य में झोन क्रमांक 12 वार्ड क्र. 64 के अन्तर्गत ड्रेनेज सफाई हेतु कार्यरत 05 मस्टर श्रमिकों की समयावधि दिनांक 31 जुलाई 2014 को समाप्त होने से कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस के लिए जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01 अगस्त 2014 से दिनांक 28 फरवरी 2015 तक अवधि वृद्धि करने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय संबंधि बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावें।  
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

1/4g1/2कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-कौंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक 1.10.14

क्रमांक 632-33

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्सी ऑडिट  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 340

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 342 दिनांक 30-09-2014

झोन क्रमांक 12 वार्ड क्र. 12 के ड्रेनेज कर्मचारियों की स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 985 दिनांक 27/08/2014 पर प्रभारी जलकार्य समिति की राय क्रमांक 58 दिनांक 28/08/2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1000 दिनांक 20/02/2014 के तारतम्य में झोन क्रमांक 12 वार्ड क्र. 12 के अन्तर्गत ड्रेनेज सफाई हेतु कार्यरत 03 मस्टर श्रमिकों की समयावधि दिनांक 31 जुलाई 2014 को समाप्त होने से कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस के लिए जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01 अगस्त 2014 से दिनांक 28 फरवरी 2015 तक अवधि वृद्धि करने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय संबंधि बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।  
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

1/4g1/2कृष्णमुरारी मोघे

महापौर/पदेन अध्यक्ष

मेयर-इन-कौंसिल

नगर पालिक निगम, इन्दौर

दिनांक 1.10.14

क्रमांक 634-35

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।

2. रेसीडेन्सी ऑडिट

की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव

नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 343 दिनांक 30-09-2014

उद्यान विभाग के अन्तर्गत नेहरु पार्क तरण पुष्कर में कार्यरत 01 कुशल श्रमिक की समयावधि के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 153 दिनांक 08/09/2014 पर प्रभारी उद्यान समिति की राय पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 983 दिनांक 20/02/2014 के तारतम्य में नेहरु पार्क तरण पुष्कर में कार्यरत 01 कुशल श्रमिक (महिला तैराक शिक्षक) की समयावधि दिनांक 31 जुलाई 2014 को समाप्त होने से कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस के लिए जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01 अगस्त 2014 से दिनांक फरवरी 2015 तक अवधि वृद्धि करने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय संबंधि बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।  
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

1/4g1/2कृष्णमुरारी मोघे

महापौर/पदेन अध्यक्ष

मेयर-इन-कौंसिल

नगर पालिक निगम, इन्दौर

दिनांक 1.10.2014

क्रमांक 650-51

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।

2. रेसीडेन्सी ऑडिट

की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव

नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 344 दिनांक 30-09-2014

अस्थाई श्रमिक की अवधि वृद्धि के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 245 दिनांक 28/09/2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में लेखा विभाग में ईपीएफ कार्य भविष्य निधि अधिनियम अन्तर्गत निगम के समस्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के डाटा का संकलन एवं रिटर्न करने के कार्य हेतु एक मस्टर श्रमिक की समयावधि मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 815 दिनांक 06/02/2014 के तारतम्य में दी गई स्वीकृति दिनांक 31 जुलाई 2014 को समाप्त होने से कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस के लिए जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01 अगस्त 2014 से दिनांक 28 फरवरी 2015 तक अवधि वृद्धि करने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय संबंधी बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।  
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

1/4g 1/2 कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर / पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-कौंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक 1.10.14

क्रमांक 636-37

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्सी ऑडिट  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 345 दिनांक 30-09-2014

सिरपुर तालाब पर वृक्षारोपण सुरक्षा एवं अन्य कार्यों की देखरेख हेतु 06 मस्टर श्रमिकों की अवधि वृद्धि के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1185 दिनांक 10/09/2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 812 दिनांक 06/02/2014 के तारतम्य में सिरपुर तालाब पर वृक्षारोपण सुरक्षा एवं अन्य कार्यों की देखरेख हेतु 06 मस्टर श्रमिकों की समयावधि दिनांक 31 जुलाई 2014 को समाप्त होने से कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस के लिए जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01 अगस्त 2014 से दिनांक 28 फरवरी 2015 तक अवधि वृद्धि करने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय संबंधि बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।  
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

1/4g1/2कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-कौंसिल

नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक 1.10.14

क्रमांक 664-65

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्सी ऑडिट  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर



सिन्धी कॉलोनी स्कूल के नामकरण के संबंध में प्रभारी आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण विभाग का पत्र दिनांक 29-09-2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त प्रभारी आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण विभाग समिति के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा की गई घोषणा अनुसार वार्ड क्रमांक 54 के शासकीय सिन्धी कॉलोनी स्कूल का नामकरण स्व. स्वामी हरिकिशनदास उदासी के नाम से करने की सैद्धांतिक सहमति दी जाती है। नियमानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर  
दिनांक 1.10.14

क्रमांक 690-91

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट।  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 345

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 347 दिनांक 30-09-2014

शहर की प्रमुख मार्गों (सीमेंट कांकीट रोड) पर थर्मोप्लास्टिक रोड मार्किंग पेंट से पट्टे एवं झेब्रा लाईन डालने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 125/सीई/बिल्स/14-15 दिनांक 29-09-2014 पर विचार किया गया ।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 1,52,95,500/- की दिनांक 28-02-2014 को प्राप्त 06 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता मेसर्स अजीत कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर 39.51 प्रतिशत कम की राशि रूपये 60,43,252/- अनुसार कुल आकार राशि रूपये 92,52,248/-के कार्य की प्रस्ताव अनुसार वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति तथा प्रारंभ किये गये कार्य की पुष्टि की जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. किये जाने वाला कार्य मानक स्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर  
दिनांक 1.10.14

क्रमांक 696-97

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट।  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

शहर की प्रमुख मार्गों एवं अन्य क्षतिग्रस्त सड़कों का डामर पेंच रिपेयर करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 124/सीई/बिल्स/14-15 दिनांक 29-09-2014 पर विचार किया गया ।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 1,32,15,000/- की दिनांक 25-06-2014 को प्राप्त 02 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता मेसर्स ओमप्रकाश हरकचंद मित्तल द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर 2.68 प्रतिशत अधिक की राशि रूपये 3,54,162/- अनुसार कुल आकार राशि रूपये 1,35,69,162/-के कार्य की प्रस्ताव अनुसार वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. किये जाने वाला कार्य मानक स्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 686-87

दिनांक 1.10.2014

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट।  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

“तिरूपति रोड लाईन्स” को आवारा पशु गौशाला भिजवाने का वाहन किराया भुगतान के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 367/2014-15 दिनांक 16-09-2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसारस्वीकृत दरों पर निविदा दरदाता तिरूपति रोड लाईन्स से कराये गये सदर कार्य का वाहन बिल राशिरूपये 3,24,000/-का विभागीय प्रस्ताव अनुसार नियमानुसार भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 688-89

दिनांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट।  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

उद्यान विभाग के अन्तर्गत झोन क्रमांक 8 वार्ड क्रमांक 39 शीतल नगर में तिवारी दादा की होटल के सामने एम.आर.-10 मुख्य मार्ग की साईड से मालवीय पेट्रोल पम्प चौराहे तक ग्रीन बेल्ट को अतिक्रमण से बचाने के लिये बाउण्ड्रीवाल एवं रेलिंग लगाने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक सीई/उद्यान/513 दिनांक 30-09-2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदरकार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 9,55,200/-की दिनांक 14-07-14 को प्राप्त 02 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता मे. लक्ष्मी इन्टरप्राईजेस द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर 4.90 प्रतिशत अधिक की राशि रूपये 46,804/- जोड़कर कुल आकार राशि रूपये 10,02,004/-की विभागीय प्रस्ताव अनुसार वित्तीय स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. किये जाने वाला कार्य मानक स्तर एवं गुणवत्ता होने पूर्ण के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 686-87

दिनांक 1.10.14

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट।  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

झोन क्रमांक 13 वार्ड क्रमांक 57 के अन्तर्गत तक्षशिला कालोनी ए.बी. रोड तक से नर्मदा कंट्रोल रूम बिजलपुर तक सीवर लाईन डालना, जोड़ना, टेस्टिंग एवं कमीसनिंग के साथ चेंबर निर्माण एवं अन्य समस्त कार्यों को पूर्ण करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 987 दिनांक 27-08-2014 पर प्रभारी जलकार्य की राय क्रमांक 70 दिनांक 28-8-14 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 16,11,466/-की दिनांक 21-03-2014 को प्राप्त 02 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता फर्म सोमासन सेल्स एण्ड सर्विस, इन्दौर द्वारा प्रस्तुत दर 14 प्रतिशत अधिक सहित कुल आकार राशि रूपये 18,37,071/- के कार्य की विभागीय प्रस्ताव अनुसार वित्तीय स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय बजट मद "शहर की समग्र ड्रेनेज विकास योजना" में से होगा।

3. किये जाने वाला कार्य मानक स्तर एवं गुणवत्ता होने पूर्ण के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 674-75

दिनांक 1.10.14

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट।  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 352 दिनांक 30-09-2014

ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2014 के अन्तर्गत प्रस्तावित क्षतिग्रस्त मार्गों पर डामर पेंच रिपेयर करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 126/सीई/बिल्स/14-15 दिनांक 30-09-2014 पर विचार किया गया ।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 1,68,00,000/- की दिनांक 01-09-2014 को प्राप्त 03 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता मेसर्स न्यू सरस्वती कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर 11.00 प्रतिशत अधिक की राशि रूपये 18,48,000/- अनुसार कुल आकार राशि रूपये 1,86,48,000/-के कार्य की प्रस्ताव अनुसार वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति तथा प्रारंभ किये गये कार्य की पुष्टि की जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर  
दिनांक 1.10.14

क्रमांक 684-85

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट।  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 353 दिनांक 30-09-2014

उद्यान विभाग के अन्तर्गत सिटी फॉरेस्ट में सुरक्षा हेतु रेलिंग लगाने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक एस.ई./उद्यान 525 दिनांक 30/09/2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 9,86,000/- की दिनांक 31-07-2014 को प्राप्त 02 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदादरदाता मेसर्स पी.जी.कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम 9.98 प्रतिशत अधिक की राशि रूपये 98,402/-सहित कुल आकार राशि रूपये 10,84,402/-के कार्य की प्रस्ताव अनुसार वित्तीय, तथा निविदा दर की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।  
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

1/4g1/2कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-कौंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक. 1.10.14.

क्रमांक 692-93

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त,संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्सी ऑडिट  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर



मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 354 दिनांक 30-09-2014

उद्यान विभाग के अन्तर्गत झोन क्रमांक 10 वार्ड क्रमांक 47 श्रीराम मंदिर साईनाथ कालोनी स्थित उद्यान विकसित करने के संबंध में आयुक्त का पत्र दिनांक 30-09-2014 पर विचार किया गया ।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 42,21,210/- की दिनांक 17-07-2014 को प्राप्त 02 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता मेसर्स नीरज सिंह कुशवाह द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर 5.54 प्रतिशत कम की राशि रूपये 2,33,855/- अनुसार कुल आकार राशि रूपये 39,87,354/-के कार्य की प्रस्ताव अनुसार वित्तीय एवं निविदा दर की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर  
दिनांक 1.10.14

क्रमांक 698-99

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट।  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

झोन क्रमांक 13 वार्ड क्रमांक 56 के अन्तर्गत एकता नगर से प्रतिक्षा ढाबा रिंगरोड तक मुख्य ड्रेनेज लाईन डालना, जोड़ना, टेस्टिंग एवं कमीसनिंग के साथ चेंबर निर्माण एवं अन्य समस्त कार्यों को पूर्ण करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 981 दिनांक 27-08-2014 पर प्रभारी जलकार्य की राय क्रमांक 57 दिनांक 28-8-14 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 30,89,243/- की दिनांक 21-03-2014 को प्राप्त 02 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता फर्म सोमासन सेल्स एण्ड सर्विस, इन्दौर द्वारा प्रस्तुत दर 11 प्रतिशत अधिक सहित कुल आकार राशि रूपये 34,29,060/- के कार्य की विभागीय प्रस्ताव अनुसार वित्तीय स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय बजट मद "शहर की समग्र ड्रेनेज विकास योजना" में से होगा।

3. किये जाने वाला कार्य मानक स्तर एवं गुणवत्ता होने पूर्ण के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 676-77

दिनांक 1.10.14

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट।  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

झोन क्रमांक 13 वार्ड क्रमांक 57 के अन्तर्गत महादेव नगर कम्युनिटी हॉल से ए.बी. रोड तक मुख्य ड्रेनेज लाईन डालना, जोड़ना, टेस्टिंग एवं कमीसनिंग के साथ चेंबर निर्माण एवं अन्य समस्त कार्यों को पूर्ण करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 982 दिनांक 27-08-2014 पर प्रभारी जलकार्य की राय क्रमांक 59 दिनांक 28-8-14 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 27,74,662/-की दिनांक 21-03-2014 को प्राप्त 02 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता फर्म सोमासन सेल्स एण्ड सर्विस, इन्दौर द्वारा प्रस्तुत दर 12.50 प्रतिशत अधिक सहित कुल आकार राशि रूपये 31,21,495/- के कार्य की विभागीय प्रस्ताव अनुसार वित्तीय स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय बजट मद "शहर की समग्र ड्रेनेज विकास योजना" में से होगा।

3. किये जाने वाला कार्य मानक स्तर एवं गुणवत्ता होने पूर्ण के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 678-79

दिनांक 1.10.14

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट।  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

झोन क्रमांक 13 वार्ड क्रमांक 56 विष्णुपुरी कालोनी में म.नं. 174 (एन एक्स) से अपना गार्डन तक की जर्जर सडक का सीमेंट कांकीट करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 110/सी.ई./बिल्स/14-15 दिनांक 29-09-2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 9,74,865/-की दिनांक 22-08-2014 को प्राप्त 02 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता मेसर्स समकित कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रस्तुत दर 2.69 प्रतिशत अधिक की राशि रूपये 26,224/- अनुसार कुल आकार राशि रूपये 10,01,109/- के कार्य की विभागीय प्रस्ताव अनुसार वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. किये जाने वाला कार्य मानक स्तर एवं गुणवत्ता होने पूर्ण के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक694-95

दिनांक1.10.14

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट।  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

विधिक समन्वयक एवं विधी सलाहकार के सम्बन्ध में आयुक्त का पत्र दिनांक 30.09.2014 पर विचार किया गया। मेयर-इन-काउंसिल के संकल्प क्रमांक 2716 दिनांक 09.11.2009 एवं संकल्प क्रमांक 702 दिनांक 28.9.2013 का अवलोकन किया गया। आयुक्त से चर्चा की गई।  
2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश पूर्व मेयर-इन-काउंसिल क्रमांक 2716 दिनांक 09.11.2009 एवं संकल्प क्र.702 दिनांक 28.09.13 के तारतम्य में निगम हित एवं विभागीय प्रस्ताव अनुसार म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 400 के प्रावधान अन्तर्गत श्री बी.एल.कासट सेवा निवृत्त अपर कलेक्टर को विधि सलाहकार समन्वयक के रूप एवं श्री लालसिंह भाटी सेवा निवृत्त जिला एवं सत्र न्यायधीश को विधि सलाहकार के रूप में पूर्व में लिए गये निर्णय अनुसार एक मुशत मानदेय पर कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर सेवा लिए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 868-69

दिनांक 1.11.14

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट।  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 359 दिनांक 13-08-2014

योजना क्रमांक 78 में नवनिर्मित उच्चस्तरीय पानी की टंकी क्षेत्र के स्लाइज क्रमांक 1, 2, एवं 4 में जल वितरण पाईप लाईन बिछाने, वॉल्व चेंबर निर्माण करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 4749 दिनांक 28-07-2014 पर प्रभारी जलकार्य समिति की राय क्रमांक 46 दिनांक 07-08-14 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 197.87 लाख की की प्रस्ताव अनुसार तकनीकी, प्रशासकीय एवं निविदा दर आमंत्रित करने की स्वीकृति दी जाती है।

आयुक्त, नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर इन कौंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

दिनांक 1.10.14

क्रमांक 648-49

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिटर
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 360 दिनांक 13-08-2014

आवारा श्वानों की नसबंदी संख्या में वृद्धि के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 393/2014 दिनांक 13.8.14 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में आवारा श्वानों की नसबंदी करने की संख्या में वृद्धि करने के दृष्टिगत पोस्ट आपरेटिव केयर यूनिट की संख्या 01 से बढ़ाकर 04 पोस्ट आपरेटिव केयर यूनिट करने की स्वीकृति दी जाती है।

आयुक्त, नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर इन कौंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर  
दिनांक 1.10.14

क्रमांक 746-44

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

श्री नित्यानंद पिता ताराचंद जोशी, सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री को पेंशन भुगतान करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 366 दिनांक 5-5-14 प्रभारी विधि एवं सामान्य प्रशासन समिति की राय क्रमांक 4036 दिनांक 02-07-2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर प्रकरण आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में होने से नियमानुसार कार्यवाही करे।

आयुक्त, नियमानुसार कार्यवाही करें।

कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर इन कौंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक 1.10.14

क्रमांक 742-43

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर



उद्यान विभाग के अन्तर्गत झोन क्रमांक 09 वार्ड क्रमांक 44 मनोरमागंज शेख हातिम हास्पिटल के सामने सी. के. नायडू उद्यान की कम्पाउण्डवाल एवं पाथवे का निर्माण करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक एस.ई./उद्यान 297 दिनांक 13-08-2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य अनुमान पत्रक राशि रूपये 14,10,000/- के कार्य की दिनांक 21-01-2014 को प्राप्त 03 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता मेसर्स माणक कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर 6.71 प्रतिशत कम की राशि रूपये 94,611/- अनुसार कुल आकार राशि रूपये 13,15,389/- के कार्य की प्रस्ताव अनुसार वित्तीय एवं निविदा दर की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. कार्य निर्धारित मानकस्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर इन कौंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक 1.10.2014

क्रमांक 748-49

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिटर  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 363 दिनांक 30-09-2014

जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत निर्मित होने वाली आवासीय इकाईयों के गुणवत्ता नियंत्रण एवं सुपरविजन कंसलटेंट के समयसीमा वृद्धि के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 590 दिनांक 30-09-2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश मेंसदर प्रकरण में विभागीय प्रस्ताव अनुसार विद्युतीकरण, जलप्रदाय लाईन संयोजन, नर्मदा लाईन से संपवेल में कनेक्शन विभागीय अनुमति तथा स्थल पर निर्माण पूर्ण होने आदि कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए गुणवत्ता नियंत्रण व सुपरविजन हेतु नियुक्त कंसलटेंट मेसर्स ए. के.ए. कंसलटेंट (इंडिया) प्रा. लि. की समय सीमा दिनांक 22-06-2014 से 21-02-2015 तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर  
दिनांक 1.10.14

क्रमांक 728-29

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट।  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

सिरपुर तालाब की सुरक्षा हेतु 03 सुरक्षा गार्ड अस्थाई श्रमिकों की अवधि वृद्धि के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1801-ए दिनांक 30/09/2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1054 दिनांक 26/02/2014 के तारतम्य में 03 अस्थाई मस्टर श्रमिकों की समयावधि दिनांक 31 जुलाई 2014 को समाप्त होने से कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस के लिए जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01 अगस्त 2014 से दिनांक 28 फरवरी 2015 तक अवधि वृद्धि करने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय संबंधी बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।  
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

1/4g1/2कृष्णमुरारी मोघे

महापौर/पदेन अध्यक्ष

मेयर-इन-कौंसिल

नगर पालिक निगम, इन्दौर

दिनांक 1.10.14

क्रमांक 722-23

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।

2. रेसीडेन्सी ऑडिट

की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव

नगर पालिक निगम, इन्दौर

झोन क्रमांक 14 वार्ड क्रमांक 59 के अन्तर्गत सुदामा नगर सेक्टर ई. म.नं. 2345 से 2368 तक म.नं. 2393 से 2412 तक ड्रेनेज लाईन डालने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1187 दिनांक 10/09/2014 पर प्रभारी जलकार्य की राय क्रमांक 76 दिनांक 12/09/2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 9,12,700/- की दिनांक 12-02-2014 को प्राप्त एकल निविदा में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदादरदाता फर्म आरुषी इंटरप्राइजेस द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम 15.00 प्रतिशत अधिक की राशि सहित कुल आकार राशि रूपये 10,49,605/-के कार्य की प्रस्ताव अनुसार वित्तीय, तथा निविदा दर की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय "नई सीवर लाईन डालना" बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावें।  
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-कौंसिल

नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक 758-59

दिनांक 1.10.14

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त,संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्सी ऑडिट  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव

नगर पालिक निगम, इन्दौर

झोन क्रमांक 11 वार्ड क्रमांक 46 के अन्तर्गत चाचा नेहरु अस्पताल से म.नं. 10-सी. रतलाम कोठी तक ड्रेनेज लाईन डालने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 980 दिनांक 26/08/2014 पर प्रभारी जलकार्य की राय क्रमांक 71 दिनांक 28/08/2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 9,15,000/- की दिनांक 14-03-2014 को प्राप्त 02 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदादरदाता फर्म पूनम इंटरप्राइजेस द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम 14.00 प्रतिशत अधिक की राशि सहित कुल आकार राशि रूपये 10,43,100/-के कार्य की प्रस्ताव अनुसार वित्तीय, तथा निविदा दर की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय "नई सीवर लाईन डालना" बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावें।  
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णामुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-कौंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक 738-39

दिनांक 1.10.14

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त,संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्सी ऑडिट  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

झोन क्रमांक 11 वार्ड क्रमांक 46 आर.एन.टी. मार्ग में पाल नर्सिंग होम दवा बाजार मुख्य मार्ग स्ट्राम वॉटर लाईन डालने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 116/सी.ई. /बिल्स/14-15 दिनांक 29/09/2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 16,37,200/- की दिनांक 21-07-2014 को प्राप्त एकल निविदा में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदादरदाता मेसर्स रानी कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम 5.00 प्रतिशत अधिक की राशि रूपये 81,860/-सहित कुल आकार राशि रूपये 17,19,060/-के कार्य की प्रस्ताव अनुसार वित्तीय, प्रशासकीय तथा निविदा दर की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।  
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णामुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-कौंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक.....1.10.14

क्रमांक 724-25

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त,संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्सी ऑडिट  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

बिजलपुर मुक्तिधाम परिसर में ऑफिस /अस्थि संचय कक्ष का निर्माण तथा पुराने शवदाह शेड की रिपेयरिंग करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 114/सी.ई/बिल्स/14-15 दिनांक 29-09-2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 9,25,000/-की दिनांक 12-08-2014 को प्राप्त 02 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता श्री विकास जैन द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर 9.00 प्रतिशत अधिक की राशि रूपये 83,250/- अनुसार कुल आकार राशि रूपये 10,08,250/- के कार्य की विभागीय प्रस्ताव अनुसार वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. किये जाने वाला कार्य मानक स्तर एवं गुणवत्ता होने पूर्ण के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 737-38

दिनांक 1.10.14

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट।  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत 50 नग 1.0 घन मी. क्षमता के स्माल 4 व्हील व्हीकल क्रय करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 130 दिनांक 30/09/2014 पर विचार किया गया। मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 239 दिनांक 13/08/2014 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर सामग्री क्रय करने हेतु प्राप्त दरों पर मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 239 दिनांक 13/08/2014 द्वारा गठित निगोसिएशन समिति की अनुशंसानुसार न्यूनतम निविदादरदाता मेसर्स सागर ऑटोमोबाईल प्रा.लि. इन्दौर द्वारा निगोसिएशन में दी गई सहमति अनुसार निगोसिएटेड दर राशि रुपये 5,52,940/- प्रति वाहन की दर के मान से 50 नग 1.0 घन मी. क्षमता के 4 व्हील व्हीकल क्रय करने हेतु राशि रुपये 2,76,47,000/- की विभागीय प्रस्ताव अनुसार वित्तीय स्वीकृति निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. क्रय की जाने वाली सामग्री गुणवत्ता पूर्ण मानक स्तर होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

1/4g1/2कृष्णमुरारी मोघे

महापौर/पदेन अध्यक्ष

मेयर-इन-कौंसिल

नगर पालिक निगम, इन्दौर

दिनांक.1.10.14

क्रमांक 704-05

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त,संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्सी ऑडिट  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव

नगर पालिक निगम, इन्दौर



झोन क्रमांक 12 वार्ड क्रमांक 11 नंदलालपुरा चौराहे से गौतमपुरा तिराहे तक सीमेंट कांक्रीट करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 109/सी.ई/बिल्स/14-15 दिनांक 29-09-2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 49,77,860/-की दिनांक 25-06-2014 को प्राप्त 02 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता मेसर्स एम.बी.एम.देवकॉन प्रा. लि. द्वारा प्रस्तुत दर 6.00 प्रतिशत कम की राशि रूपये 2,98,672/- अनुसार कुल आकार राशि रूपये 46,79,188/- के कार्य की विभागीय प्रस्ताव अनुसार वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. किये जाने वाला कार्य मानक स्तर एवं गुणवत्ता होने पूर्ण के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 752-53

दिनांक1.10.14

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट।  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

झोन क्रमांक 14 वार्ड क्रमांक 63 के अन्तर्गत पलसीकर कालोनी म.नं. 48 के पास जूनी इन्दौर थाने के सामने ड्रेनेज लाईन डालने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 991 दिनांक 27/08/2014 पर प्रभारी जलकार्य की राय क्रमांक 67 दिनांक 28/08/2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 8,80,400/- की दिनांक 12-02-2014 को प्राप्त 02 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदादरदाता फर्म सोमी इंटरप्राईजेस द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम 14.00 प्रतिशत अधिक की राशि सहित कुल आकार राशि रूपये 10,03,656/-के कार्य की प्रस्ताव अनुसार वित्तीय, तथा निविदा दर की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय "नई सीवर लाईन डालना" बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावें।  
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-कौंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक 1.10.14

क्रमांक 754-55

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त,संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्सी ऑडिट  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

उद्यान विभाग के अन्तर्गत झोन क्रमांक 10 वार्ड क्रमांक 48 आलोक नगर सेक्टर बी. कनाडिया रोड स्थित उद्यान की कम्पाण्डड वाल एवं पाथवे का निर्माण करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक एस.ई./उद्यान 516 दिनांक 30/09/2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 25,11,000/- की दिनांक 17-07-2014 को प्राप्त 07 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदादरदाता मेसर्स प्रभाश्री कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम 11.33 प्रतिशत कम की राशि रूपये 2,84,496/- रहित कुल आकार राशि रूपये 22,26,503/-के कार्य की प्रस्ताव अनुसार वित्तीय, तथा निविदा दर की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे। आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-कौंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक 1.10.14

क्रमांक 710-11

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त,संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्सी ऑडिट  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 371

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 373 दिनांक 30-09-2014

वार्ड क्र.48 पिपल्याहाना में डी.डब्ल्यू एच.डी. पी.ई. सीवर लाईन के कार्य करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 823/नपानि/इन्दौर,दिनांक 29.09.14 पर विचार किया गया।मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्र.341 दिनांक 30.08.2012 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य विभागीय प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित कार्य बिना लागत राशि वृद्धि के निविदा शर्तों एवं अनुबंध अन्तर्गत नियमानुसार कराने की स्वीकृति दी जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-कौंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक 1.10.2014

क्रमांक 726-27

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त,संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्सी ऑडिट  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

झोन क्रमांक 05 वार्ड क्रमांक 34 के अन्तर्गत मारुती नगर में शेष रही ड्रेनेज लाईन डालने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1106 दिनांक 05/09/2014 पर प्रभारी जलकार्य की राय क्रमांक 75 दिनांक 12/09/2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 8,76,400/- की दिनांक 22-02-2014 को प्राप्त 02 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदादरदाता फर्म वाजपेई इंटरप्राईजेस द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम 14.90 प्रतिशत अधिक की राशि सहित कुल आकार राशि रूपये 10,06,983/-के कार्य की प्रस्ताव अनुसार वित्तीय, तथा निविदा दर की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय "नई सीवर लाईन डालना" बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।  
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-कौंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक 1.10.14

क्रमांक 756-57

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त,संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्सी ऑडिट  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

375 आर्थिक सहायता

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 376 दिनांक 30-09-2014

वित्तीय वर्ष 2014-15 में जलकर उपभोक्ताओं की अधिरोपित जलकर/चार्जस के संबंध में विचार किया गया। चर्चा की गई।

2. वित्तीय वर्ष 2014-15 में जलकर उपभोक्ताओं की अधिरोपित जलकर/चार्जस की मांग को शासन स्वीकृति प्राप्त होने तक फ्रिज/स्थिर किया जाना यथासंशोधित पूर्व वर्ष अनुसार स्वीकृत किया गया है। नागरिकों को नियमित रूप से जलवितरण की शिकायत/प्रकरणों के निराकरण हेतु जनहित के अन्तर्गत निगम राजस्व को दृष्टिगत रखते हुए रहवासियों को वित्तीय वर्ष 2014-15 में जलकर/चार्जस में 1/2 इंच आवासीय जल संयोजन उपभोक्ताओं को जलकर/चार्जस में राहत देते हुए 31 मार्च 2012 तक की बकाया राशि फ्रिज/स्थिर की गई है। इसमें उपभोक्ताओं के खाते में फ्रिज/स्थिर की गई राशि को तबतक नहीं वसूला जावेगा, जबतक कि, राज्य शासन द्वारा निगम अनुशंसित प्रस्ताव/प्रकरणों पर अनुमति नहीं दी जाती है। अनुमति उपरान्त सिस्टम में फ्रिज की गई राशि को विलोपित किया जाना यथा प्रक्रिया अनुसार स्वीकृत किया गया है। उक्त श्रेणी के उपभोक्ताओं को 01 अप्रैल 2012 से 30 जून 2014 तक की जलकर/चार्जस की राशि एक मुश्त अथवा अधिकतम दो किशतों में 30 सितम्बर 2014 तक लेने की स्वीकृति दी जाती है। इस संबंध में समय-समय पर जनहित में निर्णय लिये जाने हेतु मेयर-इन-काउंसिल को अधिकृत किया गया है।

3. विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट में लिये गये निर्णय/प्रदत्त अधिकार के प्रकाश में जनप्रतिनिधियों व नागरिकों की मांग व निगम हित को दृष्टिगत रखते हुए 1/2 इंच आवासीय जलसंयोजन उपभोक्ताओं की जलकर/चार्जस दिनांक 31 मार्च 2012 तक की बकाया राशि फ्रिज/स्थिर करने की दिनांक 30 सितम्बर 2014 तक की अवधि को दिनांक 07-11-2014 तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति दी जाती है। उक्त अवधि में अधिक से अधिक जलकरदाताओं/नागरिकों लाभ मिल सके इस हेतु पर्याप्त प्रचार-प्रसार भी किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 730-31

दिनांक 1.10.14

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट।  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 377 दिनांक 30-09-2014

नगर निगम सीमा में शामिल हुए 29 गावों में स्थित सम्पत्तियों पर सम्पत्तिकर के साथ अधिभार की देयता पर विचार किया गया। चर्चा की गई।

2. राजस्व प्रभारी ने बताया कि, नये शामिल गावों में सम्पत्तिकर पर वर्ष 2013-14 में अधिभार नहीं लगाया जाने का अनुरोध करदाताओं द्वारा किया जा रहा है। उपायुक्त राजस्व द्वारा तथ्यात्मक स्थिति प्रस्तुत करते हुए बताया कि, 29 गावों के संबंध में म.प्र. शासन की अधिसूचना दिनांक 05/02/2013 को माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर द्वारा दिनांक 03/02/2014 को अपास्त किये जाने पर शासन द्वारा पुनः प्रक्रिया पूर्ण कर अधिसूचना दिनांक 04/03/2014 जारी की गई।

3. विचारोपरान्त चर्चा एवं उपरोक्त स्थिति एवं न्यायालयीन कार्यवाही आदि के प्रकाश में निगम सीमा में शामिल 29 गावों की सम्पत्तियों के संबंध में अधिसूचना वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में जारी होने से जनहित व न्यायोचित की दृष्टि से देय सम्पत्तिकर पर वर्ष 2013-14 में अधिभार नहीं लगाया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक 750-51

दिनांक 1.10.14

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट।  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर



छत्रपति शिवाजी झोन क्र. 11 पर (कुशल श्रमिक) कम्प्यूटर ऑपरेटर की स्वीकृति के संबंध में आयुक्त की टीप दिनांक 22/05/2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त की टीप में दर्शाई स्थिति के प्रकाश में झोनल अधिकारी की मांग एवं क्षेत्रीय वार्ड पार्षद की अनुशंसा के क्रम में झोनल कार्यालय पर एक कम्प्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए एक (कुशल श्रमिक) अस्थाई दैनिक वेतन भोगी मस्टर श्रमिक की कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस के लिए जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 28 फरवरी 2015 तक अवधि वृद्धि करने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय संबंधी बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।  
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

1/4g1/2कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष

मेयर-इन-कौंसिल

नगर पालिक निगम, इन्दौर

दिनांक 1.10.14

क्रमांक 744-45

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्सी ऑडिट  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव

नगर पालिक निगम, इन्दौर

झोन क्रमांक 03 वार्ड क्रमांक 13 सिख मोहल्ला स्थित गुरुद्वारे के सामने व भारत माता पेढी से जुना मिल तक सीमेन्ट कांक्रीट करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 119/सी.ई. /बिल्स/14-15 दिनांक 29/09/2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 9,74,122/- की दिनांक 22-08-2014 को प्राप्त 02 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदादरदाता मेसर्स सालासर बालाजी इन्टरप्राइजेस द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम 2.70 प्रतिशत अधिक की राशि रूपये 26,301/- सहित कुल आकार राशि रूपये 10,00,423/-के कार्य की प्रस्ताव अनुसार वित्तीय, प्रशासकीय तथा निविदा दर की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।  
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-कौंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक 1.10.14

क्रमांक 732-33

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त,संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्सी ऑडिट  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

समाचार पत्रों को निगम विज्ञापन सूची में सम्मिलित करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 148 दिनांक 30-09-2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में निम्नांकित समाचार पत्रों को निगम की विज्ञापन सूची में सम्मिलित कर स्वीकृत दरों पर विज्ञप्ति/विज्ञापन देने तथा समय-समय पर महापौर द्वारा समक्ष में दिये गये निर्देशानुसार समाचार पत्रों/पत्रिकाओं को दिये गये विज्ञापन एवं निगम द्वारा समाचार पत्रों में शासन द्वारा स्वीकृत दर एवं राष्ट्रीय समाचार पत्रों में जारी किये गये [टेण्डर/विज्ञप्ति](#) की कार्योत्तर स्वीकृति निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में दी जाती है:-

क्रमांक	समाचार	दर प्रति स्कवेयर सेन्टी मीटर
1	प्रदेश टुडे	48 रुपये जनसंपर्क म.प्र. शासन
2	दैनिक दबंग दुनिया	39 रुपये जनसंपर्क म.प्र. शासन
3	राष्ट्रीय हिन्दी मेल	24 रुपये जनसंपर्क म.प्र. शासन
4	दैनिक इंसोफ का प्रयास	26 रुपये जनसंपर्क म.प्र. शासन
5	दैनिक ध्रुववाणी	20 रुपये जनसंपर्क म.प्र. शासन
6	दैनिक दबंग दुनिया	26 रुपये जनसंपर्क म.प्र. शासन
7	दैनिक विनय उजाला	20 रुपये जनसंपर्क म.प्र. शासन

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।  
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर  
दिनांक 1.10.14

क्रमांक 777-78

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल।
  2. रेसीडेन्ट आडिट।
- की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 381 दिनांक 30-09-2014

शहरी गरीबों हेतु आवास निर्माण योजनांतर्गत भूरी टेकरी में निर्मित हो रही इकाइयों की समय सीमा वृद्धि करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 579/जेएनएनयूआरएम/14 दिनांक 25-09-2014 पर विचार किया गया ।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में विभागीय प्रस्ताव अनुसार सदर प्रकरण में अन्यत्र विभागों की स्वीकृतियों में विलंबता के कारणशेष रहे कार्यों को पूर्ण करने हेतु दिनांक 31 जनवरी 2015 तक अतिरिक्त समय सीमा बढ़ाये जाने की स्वीकृति दी जाती है ।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे ।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर  
दिनांक 1.10.14

क्रमांक 716-17

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल ।
2. रेसीडेन्ट आडिट ।  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

उद्यान विभाग के अन्तर्गत झोन क्रमांक 11 वार्ड क्रमांक 51 आजाद नगर के पास (सुमति नगर) के मध्य म.नं. 50 के सामने स्थित उद्यान की कम्पाण्डड वाल एवं पाथवे का सीमेन्ट कांक्रीट करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक एस.ई./उद्यान 517 दिनांक 30/09/2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 13,74,000/- की दिनांक 17-07-2014 को प्राप्त एकल निविदा में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदादरदाता मेसर्स घनश्याम गुप्ता द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम 07.00 प्रतिशत अधिक की राशि रूपये 96,180/- सहित कुल आकार राशि रूपये 14,70,180/-के कार्य की प्रस्ताव अनुसार वित्तीय, तथा निविदा दर की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावें।  
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

1/4g1/2कृष्णमुरारी मोघे

महापौर/पदेन अध्यक्ष

मेयर-इन-कौंसिल

नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक 712-13

दिनांक1.10.14

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त,संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्सी ऑडिट  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव

नगर पालिक निगम, इन्दौर

पंजीयन क्रमांक

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 383 दिनांक 30-09-2014

शहरी गरीबों हेतु आवास निर्माण योजनांतर्गत भीम नगर में निर्मित हो रही इकाइयों की समय सीमा वृद्धि करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 594/जेएनएनयूआरएम/14 दिनांक 30-09-2014 पर विचार किया गया ।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में विभागीय प्रस्ताव अनुसार सदर प्रकरण में घरों में विद्युत कनेक्शन के साथ किये जाने वाले कार्य तथा स्ट्रीट लाईट का काम शेष होने से समय-सीमा पूर्व प्रभावित दिनांक से नवम्बर 2014 तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर  
दिनांक 1.10.14

क्रमांक 708-09

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट।  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 384 दिनांक 30-09-2014

खजराना गणेश मंदिर प्रांगण में प्रस्तावित आर.सी.सी. टंकी क्षमता 150 कि.ली. स्टेजिंग 12 मीटर मय पम्प हाउस एवं सम्पवेल क्षमता 50 कि.ली. का निर्माण मय ओपन वेल सबमर्सिबल पम्प प्रदाय व स्थापना कार्य की निविदा दर स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 6421 दिनांक 30-09-2014 पर विचार किया गया ।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में खजराना गणेश मंदिर प्रांगण में प्रस्तावित आर.सी.सी. टंकी क्षमता 150 कि.ली. स्टेजिंग 12 मीटर मय पम्प हाउस एवं सम्पवेल क्षमता 50 कि.ली. का निर्माण मय ओपन वेल सबमर्सिबल पम्प प्रदाय व स्थापना कार्य की द्वितीयबार दिनांक 27-08-2014को प्राप्त 02 निविदाओं में न्यूनतम निविदा दरदातामेसर्स पूनम इंटरप्रायजेस, इन्दौर द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर राशि रूपये 25.95 लाख की विभागीय प्रस्ताव अनुसार स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय डिपॉजिट मद में से होगा।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर  
दिनांक 1.10.14

क्रमांक 720-21

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट।  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 385 दिनांक 30-09-2014

अहीर खेड़ी में निर्मित आवासीय योजना में अतिरिक्त कार्य के रूप में बाउण्ड्रीवॉल के निर्माण के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 581/जेएनएनयूआरएम/14 दिनांक 27-09-2014 पर विचार किया गया । मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 101 दिनांक 05-07-2011 का अवलोकन किया गया ।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर प्रकरण हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 73.50 लाख की विभागीय प्रस्ताव अनुसार प्रशासकीय, वित्तीय एवं निविदा दर आमंत्रित करने की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर  
दिनांक 1.10.14

क्रमांक 714-15

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल ।
2. रेसीडेन्ट आडिट ।  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर



रीजनल पार्क में आंतरिक सर्विस रोड की ओर जाने वाले मार्ग पर कम्पाउण्ड वाल का निर्माण करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 242 दिनांक 30-09-2014 पर विचार किया गया। मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 217 दिनांक 07-06-2013 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 34,21,180/- की दिनांक 30-09-2013 को प्राप्त निविदा पर निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता ठेकेदार एजेन्सी मेसर्स फिनिक्स इन्फ्राट्रेड 6/बी-2 संवाद नगर इन्दौर द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर 10 प्रतिशत अधिक सहित कुल आकार राशि रूपये 37,63,298/- के कार्य की विभागीय प्रस्ताव अनुसार प्रशासकीय, वित्तीय स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. किये जाने वाला कार्य मानक स्तर एवं गुणवत्ता होने पूर्ण के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 760-61

दिनांक 1.10.14

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट।  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 387 दिनांक 30-09-2014

अहीरखेड़ी में शहरी गरीबों हेतु निर्मित होने वाली आवासीय इकाइयों में अतिरिक्त कार्य की स्वीकृति व अंतिम बिल देने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 595/जेएनएनयूआरएम/दिनांक 30-09-2014 पर विचार किया गया। मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 341 दिनांक 30-08-2012 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकृति के क्रम में सदर स्थल पर क्रमशः विद्युतीकरण में एक्ट्रा केबलिंग का कार्य, जलप्रदाय व्यवस्था हेतु सम्पवेल के लेबल पर पम्प हाउस निर्माण का कार्य, सम्पवेल को डी.आई. लाईन से जोड़ने का कार्य तथा विद्युत सुरक्षा हेतु लोहे की जाली लगाना आदि कार्यों पर हुए अतिरिक्तव्यय राशि रूपये 38.00 लाख की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला संबंधित बजट मद में से होगा।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक 1.10.14

क्रमांक 771-72

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट।  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 388 दिनांक 30-09-2014

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के बजट मदों में पुनर्विनियोग करने के संबंध में आयुक्त के पत्र क्रमांक 523 दिनांक 30-09-2014 पर विचार किया गया । चर्चा की गई।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में विभागीय प्रस्ताव अनुसार सदर प्रकरण में वित्तीय वर्ष 2014-2015 के बजट मदों में पुनर्विनियोग करने के उद्यानों का विकास (मुख्य उद्यान) बजट मद से प्राप्त प्रस्तावों के कारण राशि की कमी को दृष्टिगत रखते हुवे विभिन्न मदों में राशि रुपये **950.00 लाख** की आवश्यकता के क्रम (कॉलम नम्बर 6) में प्रावधानित राशि में से (कॉलम नम्बर 7) उल्लेखित राशि का (कॉलम 2 में उल्लेखित मद में कॉलम अनुसार राशि) पुनर्विनियोग कर अन्तरित करने की स्वीकृति दी जाती है। (राशि लाख में)

अ. क्रं.	जिस मद में पुनर्विनियोग किया जाना बजट कोड नं. बजट मद का नाम	प्रावधानित राशि (लाख में)	मद में पुनर्विनियोग किये जाने वाली राशि	जिस मद से पुनर्विनियोग किया जाना है बजट कोड नं. बजट मद का नाम	मद में प्रावधानित राशि	मद से पुनर्विनियोग किये जाने वाली राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	उद्यानों का विकास (मुख्य उद्यान) मद क्रं. "4101005"	1400.00 लाख	500.00 लाख	जे.सी.बी./टेकर /वाहन किराया मद क्रं. 2305049	10.00 लाख	7.00 लाख
2	रोड साईड एवेन्यु प्लान्टेशन(प्रोजेक्ट ग्रीन) मद क्रं. 4103008	500.00 लाख	200.00 लाख	पक्षी विहार का विकास (सिरपुर) मद क्रं. 2305110	2.00 लाख	1.00 लाख
3	बगीचो तथा मनांरंजन स्थलों का संधारण मद क्रं.2305189	500.00 लाख	250.00 लाख	उद्यानों के रख-रखाव पर आर.डबलू.ए मोहल्ला समिति के माध्यम से करने पर व्यय मद क्रं. 2305153	5.00 लाख	4.00 लाख
				पिपल्यापाला रिजनल पार्क के रख-रखाव पर	400.00 लाख	100.00 लाख

व्यय। मद क्रं. "2305162"		
चौराहो का सौन्दर्यीकरणमुख्य मद क्रं. "2305179"	15.00 लाख	5.00 लाख
बिजासन उद्यान का रख-रखाव मद क्रं. 2305180	3.00 लाख	2.00 लाख
तरण पुष्कर महुनाका अटल संकुल मद क्रं. 2305104	10.00 लाख	4.00 लाख
तरण पुष्कर नेहरु पार्क का रख रखाव। मद क्रं. 2305178	10.00 लाख	4.00 लाख
पं.दीनदयाल उपाध्याय उपवन का रख-रखाव। मद क्रं. 2305181	2.00 लाख	1.00 लाख
सिरपुर उद्यान का रख-रखाव। मद क्रं 2305182	10.00 लाख	9.00 लाख
नेहरु पार्क का रख-रखाव। मद क्रं. 2305184	25.00 लाख	20.00 लाख
पितृ पर्वत योजना का विकास मद क्रं. 4101009	220.00 लाख	110.00 लाख

निरन्तर-2

//2//

	नेहरु पार्क का विकास मद कं. "4101010"	30.00 लाख	25.00 लाख
	शासकीय भूमि पर पौधा रोपणमद कं. "4101012"	100.00 लाख	24.00 लाख
	सिरपुर तालाब के पास मनोरंजन स्थल अप्पु घर एवं अन्य पर व्यय। मद कं. "4101029"	100.00 लाख	98.00 लाख
	पिपल्यापाल रिजनल पार्क का विकास। मद कं. 4101031	500.00 लाख	100.00 लाख
	मेघदूत गार्डन में मंगलमेरी लेण्ड की भूमि का विकास करना। मद कं 4101033	100.00 लाख	99.00 लाख
	वृक्षो के ट्रांसलोकेशन हेतु मशीन क़य/किराये पर लिये जाने हेतु व्यय ।मद कं. 4104024	300.00 लाख	200.00 लाख
	डम्पर/जे.सीबी/ट्रक/ ट्रेक्टर/पानी की टंकीयां क़य करना। मद कं. "4105011"	40.00 लाख	39.00 लाख
	किडस झोन योजना पर व्यय मद कं. "4108015"	100.00 लाख	98.00 लाख
कुल योग	-950.00 लाख	कुल योग-	950.00 लाख

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर  
दिनांक 1.10.14

क्रमांक 718-19  
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल।

2. रेसीडेन्ट आडिट ।  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 389 दिनांक 30-09-2014

नगर निगम इन्दौर के समस्त प्रकार के विज्ञापन मध्यप्रदेश माध्यम से दिये जाने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 147 दिनांक 30-09-2014 पर विचार किया गया। चर्चा की गई।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति के एवं चर्चा के प्रकाश में निगमद्वारा राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन/विज्ञप्ति/निविदा देने की नीति प्रचलन में है, किन्तु मध्य प्रदेश माध्यम में स्वीकृत दर राष्ट्रीय समाचार पत्रों की दरों से कम है, यदि राष्ट्रीय समाचार पत्र माध्यम की स्वीकृत दरों पर प्रकाशन करने पर सहमत हो तो, निगम में प्रचलित नीति अनुसार निगम हित में निगम द्वारा सीधे माध्यम की दर पर राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जाने की स्वीकृति दी जाती है, अन्यथा की स्थिति में मध्य प्रदेश माध्यम के द्वारा प्रकाशन कराया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक 1.10.14

क्रमांक 779-80

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट।  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 390 दिनांक 30-09-2014

अतिरिक्त रूप से एकत्रित होने वाले ठोस अपशिष्ट के प्रोसेसिंग प्लांट कीस्थापना हेतु निविदा आमंत्रण के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1282 दिनांक 24-09-2014 पर विचार किया गया ।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में अतिरिक्त रूप से एकत्रित होने वाले ठोस अपशिष्ट तथा 29 गांव जुड़ने एवं भविष्य में अपशिष्ट की बढ़ती मात्रा के दृष्टिगत लगभग 500 टन प्रतिदिन एवं इससे अधिक अपशिष्ट को वैज्ञानिक पद्धति द्वारा निपटान (प्रोसेसिंग) करने हेतु वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की स्थापना करने के लिए निविदा आमंत्रित करने की स्वीकृति निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में दी जाती है ।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे ।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे ।

कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक 740-41

दिनांक 1.10.14

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल ।
2. रेसीडेन्ट आडिट ।  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर





पंजीयन क्रमांक396

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक398 दिनांक 30-09-2014

लेखा शाखा के बजट मद से विधि शाखा के बजट मद में पुनर्विनियोग करने की स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 2154 विधि/स्था/2014-15 दिनांक 30-09-2014 पर विचार किया गया ।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश लेखा शाखा के बजट मद क्रमांक 2305086 " बकाया बिलो के भुगतान" में से 01 करोड़ रुपये का पुनर्विनियोग विधि विभाग के बजट मद क्रमांक 2205211 " अभिभाषक खर्च (फीस)" में करने की स्वीकृति दी जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर  
दिनांक 27.10.14

क्रमांक 789-790

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट।  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 399 दिनांक 30-09-2014

झोन क्रमांक 08 वार्ड क्रमांक 40 के अन्तर्गत पटेल बाग नुर मोहम्मद के मकान से एम.आर.-9 (महक वाटिका) तक 450 एम.एम. डाया की ड्रेनेज लाईन डालने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1713-ए दिनांक 29/09/2014 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 13,50,000/- की दिनांक 20-06-2014 को प्राप्त 02 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदादरदाता फर्म विद्या मार्केटिंग, इन्दौर द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम 16.00 प्रतिशत अधिक की राशि सहित कुल आकार राशि रूपये 15,66,000/-के कार्य की प्रस्ताव अनुसार वित्तीय तथा निविदा दर की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय "शहर की समग्र ड्रेनेज विकास योजना" बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावें।  
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-कौंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक 27.10.14

क्रमांक 791-92

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त,संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्सी ऑडिट  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर



